कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर

आ दे श

क्रमांक **258** / S.W./2023 मण्डलेश्वर, दिनांक 13 / 06 / 2023

मैं, सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर प्रशासकीय कर्त्तव्य के निर्वहन में मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 अध्याय 04 के नियम 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 612 / एक–11–1 / 93 / सा. ले. दिनांक 15.12.2022 वर्ष 2023 के दीवानी एवं दांडिक कार्य विभाजन पत्रक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन (तृतीय संशोधन) समाविष्ट करने का आदेश देता हूं, जो कि आदेश दिनांक से प्रभावशील रहेगा, अर्थात्

सारणी

क्र	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार		प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है	
(1)	(2)	(3)		(4)	
2	विशेष न्यायाधीश एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	संपूर्ण सत्र खण्ड पश्चिम निमाड़	(अ)	3	संपूर्ण न्यायिक जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 से संबंधित विशेष सत्र / आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र, रिमाण्ड प्रपत्र, सुपूर्दगीनामा आवेदन पत्र तथा उक्त अधिनियम अंतर्गत अन्य विविध कार्यवाहियां । (किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)।
				4	एन.आई.ए. एक्ट 2008 (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008) के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के प्रकरण । *टीप – सारणी के सरल क्रमांक 2 के स्तम्भ क्रमांक 4 के अनुक्रमांक 3 एवं 3 में उल्लेखित इबारत जोड़ी जाती है ।*
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मंडलेश्वर				रिक्त न्यायालय ।
19	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील खरगोन के अंतर्गत राजस्व तहसीले			टीप – व्यवहार न्यायाधीश / अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक न्यायिक तहसील भीकनगांव से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकार के व्यवहार प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण / निराकृत किए जावेंगे । *नोट – सारणी के सरल क्रमांक 19 के स्तम्भ क्रमांक 4 में उल्लेखित टीप की इबारत विलोपित की जाती है ।*
20	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड	न्यायिक तहसील खरगोन के अंतर्गत	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण । *टीप – सारणी के सरल क्रमांक 20 के स्तम्भ क्रमांक 4 के अनुक्रमांक*

.....2

(1)	(2)	(3)			(4)
	खरगोन	राजस्व तहसीले			*1 में उल्लेखित उपरोक्तानुसार इबारत जोड़ी जाती है ।*
22	व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड भीकनगांव	न्यायिक तहसील भीकनगांव के अंतर्गत राजस्व तहसीले		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद मूल्यांकन रू. 5,00,001/– या इससे अधिक एवं रू. 1,00,00,000/– की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण 201/–रू. या इससे अधिक एवं रू. 500/– की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 5,00,001/– या इससे अधिक तथा रू. 1,00,00,000/– की सीमा तक के प्रकरण।
				5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।
				6	दामाशाही (इन्सॉल्वेंसी) विधान के अंतर्गत रू. 1,00,00,000/– की सीमा के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				7	धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें ।
			टीप		व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगांव के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक न्यायिक तहसील भीकनगांव से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे । *नोट – सारणी के सरल कमांक 22 के स्तम्भ कमांक 4 के अनुकमांक 1 लगायत 7 तथा टीप में उल्लेखित उपरोक्तानुसार इबारत जोड़ी जाती है ।*
23	व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड कसरावद	न्यायिक तहसील कसरावद के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			टीप – व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कसरावद के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक न्यायिक तहसील कसरावद से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे । *नोट – सारणी के सरल कमांक 23 के स्तम्भ कमांक 4 में उल्लेखित टीप की इबारत जोड़ी जाती है ।*
25	व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड एवं ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर	न्यायिक तहसील महेश्वर के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			टीप – प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक आरक्षी केन्द्र मण्डलेश्वर की सीमाक्षेत्र (आ.के. महेश्वर व करही सीमाक्षेत्र छोड़कर) से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे । *नोट – सारणी के सरल कमांक 25 के स्तम्भ कमांक 4 में उल्लेखित टीप की इबारत जोड़ी जाती है ।*

(1)	(2)	(3)			(4)
32	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड कसरावद	न्यायिक तहसील कसरावद के अंतर्गत राजस्व तहसील			रिक्त न्यायालय
33	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड भीकनगांव	न्यायिक तहसील भीकनगांव के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			रिक्त न्यायालय
35	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील खरगोन के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			रिक्त न्यायालय
38	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील खरगोन के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			टीप – क्रमांक 2 से 4 पर उल्लेखित समस्त प्रकरण दिनांक 01.01. 2023 से दिनांक 31.12.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे । *नोट – सारणी के सरल क्रमांक 38 के स्तम्भ क्रमांक 4 में उल्लेखित उपरोक्तानुसार टीप की इबारत संशोधित कर जोड़ी जाती है ।*
39	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड मण्डलेश्वर	न्यायिक तहसील महेश्वर (थाना क्षेत्र महेश्वर, करही को छोड़कर)			रिक्त न्यायालय ।

सामान्य टीप :

3ए. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उद्‌भूत विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन प्रकरण, क्लेम प्रकरणों तथा भू अर्जन प्रकरण में जमा की जाने तथा आहरित की जाने वाली राशि के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण/निष्पादन चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर द्‌वारा किया जावेगा ।

इसी प्रकार द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक उक्त न्यायालय द्‌वारा घोषित निर्णय/जयपत्र से उद्‌भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण/विविध प्रकरण तथा वरिष्ठ न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के प्रकरण प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे।

10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में न्यायिक

तहसील महेश्वर एवं कसरावद क्षेत्राधिकार से उद्‌भूत प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रतिभूति आवेदन पत्र, जो किसी अपराध में प्रथम बार प्रस्तुत होकर उनमें केस डायरी प्राप्त हो चुकी है, को प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के न्यायालय में उक्त प्रतिभूति आवेदन पत्र स्वयमेव अंतरित होना माना जाकर उन्हीं के द्वारा विधिवत सुनवाई एवं निराकरण किया जावेगा –

सप्ताह के दिन	:	प्रभारी न्यायालय का नाम
सोमवार	:	विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा), मण्डलेश्वर
मंगलवार, बुधवार	:	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर
गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार	:	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर

(सुनिल कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

.....